

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 862 ]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 नवम्बर 2025 — कार्तिक 22, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025

अधिसूचना  
संख्या 16/2025—राज्य कर

F.N. RULE/548/2025-COMTAX SECTION (84).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 30 सन् 2025) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025. की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 1 अक्टूबर, 2025 को ऐसी तिथि के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (दो) और (तीन), धारा 3 से धारा 5 और धारा 7 से धारा 14 के उपबंध प्रवृत्त समझे जाएंगे, नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2025

F.N. RULE/548/2025-COMTAX SECTION (84).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE/548/2025-COMTAX SECTION (84) दिनांक 12-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 12th November 2025

NOTIFICATION  
No. 16/2025-State Tax

F.N. RULE/548/2025-COMTAX SECTION (84) .— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Act (No. 30 of 2025) The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025., the State Government hereby appoints the 1st day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 2, sections 3 to 5 and sections 7 to 14 of the said Act, shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
S.K. SINGH, Deputy Secretary.